ऑन लाईन नं. RCMS 2021/249

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 47/2021

1. भलविन्द्र सिंह पुत्र रन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार मिर्जेवाला**

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार मिर्जेवाला खाता संख्या 13 चक 2 बी छोटी आदि पटवार मण्डल मोहनपुरा दिनांक 28.01.2021 अनवानी इंतकाल भलविन्द्र सिंह के नाम चक 2 बी छोटी आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2020 की पालना न कर इंतकाल खारिज किया , को निरस्त कर इंतकाल दर्ज करने हेतु।

:: आदेश :: **दिनांक :– 26.11.2021**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत में अपीलांट द्वारा चक 2 बी छोटी खाता संख्या 13 मुरब्बा नम्बर 4,19,18,46 मुश्तर्का खाता की भूमि का निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 21.10.2020 की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर का आदेश 4338 दिनांक 15.12.2020 कर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया जिसमें पटवारी व गिरदावर द्वारा इंतकाल दर्ज करके नायब तहसीलदार के समक्ष पेश किया। नायब तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अनदेखा करके बिना सुने इंतकाल खारिज कर दिया। अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये इंतकाल खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी के अपीलांट द्वारा दावा अधिकारों की घोषणा व बंटवारे का किया जिसमें दिनांक 21.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा डिग्री करते हुए आदेश दिया गया कि चक 5 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 11,12,16 ता 20 कुल 1.645 हैक्टर व चक 2 बी छोटी खाता संख्या 42/3 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 4,5,6,7 की 0.316 हैक्टर व चक 2 बी छोटी मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1,9,10,11,12,13,17,18 ता 24 की 1.771 हैक्टर और किला नम्बर 25/2 का 0.089 हैक्टर नहरी गैरमुमकिन रास्ते का खातेदार घोषित दिनांक 21.10.2020 को किया था जिसकी पालना करने के लिए अधीनस्थ अदालत बाध्य थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर इंतकाल खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.10.2021 को बताने पर मालूम हुआ कि इंतकाल 28.01.2021 को खारिज

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

हो गया है। ईल्म होते ही नकल के लिए दरखास्त पेश की दिनांक 28.10.2021 को नकल मिलने पर आज बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है। देरी कन्डोन की जानी इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक व उचित है। अतः अपील पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.01.2021 निरस्त फरमाकर इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश अधीनस्थ अधिकारी को दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2020 की पालना में इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर पटवारी व गिरदावर द्वारा इंतकाल दर्ज कर नायब तहसीलदार मिर्जेवाला के समक्ष इन्तकाल स्वीकृत करने हेतु पेश किया। नायब तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अनदेखा करके बिना सुने इंतकाल खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के अपीलांट द्वारा दावा अधिकारों की घोषणा व बंटवारे का किया जिसमें दिनांक 21.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा डिग्री करते हुए आदेश दिया गया कि चक 5 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 11,12,16 ता 20 कुल 1.645 हैक्टर व चक 2 बी छोटी खाता संख्या 42/3 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 4,5,6,7 की 0.316 हैक्टर व चक 2 बी छोटी मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1,9,10,11,12,13,17,18 ता 24 की 1.771 हैक्टर और किला नम्बर 25/2 का 0.089 हैक्टर नहरी गैरमुमकिन रास्ते का खातेदार घोषित दिनांक 21.10.2020 को किया था जिसकी पालना करने के लिए अधीनस्थ अदालत बाध्य थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर इंतकाल खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा है जिसे खारिज फरमाया जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.01.2021 निरस्त फरमाकर इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावा अधिकारों की घोषणा व बंटवारे का किया जिसमें दिनांक 21.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा डिग्री करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया कि डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावें। जिस पर नायब तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी डिक्री एवं राजस्व रिकॉर्ड में रकबा मिलान नहीं होने से उक्त इन्तकाल अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलांट राजस्व रिकॉर्ड एवं जारी डिक्री में रकबा मिलान नहीं होन पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2020 में राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अनुसार संशोधन आदेश जारी करवावें । नायब तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.01.2021 जो इन्तकाल अस्वीकृत किये गये है वह सही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी डिक्री एवं नवीन राजस्व रिकॉर्ड में रकबा मिलान नहीं होने से उक्त विवादित इन्तकाल अस्वीकृत किये जाते है नोट अंकित किये है। जो विधिसम्मत् है क्योंकि इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व रकबा का मिलान होना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला ... श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक 21.10.2020 से स्टेट का कोई हित प्रभावित होता है तो उसकी अपील की जावें। अपीलांट राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रकबा अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोहि कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आदेश पारित करवावें। प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 शाखा, कलैक्ट्रेट श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2020 की पालना में सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा किस आधार पर इन्तकाल दर्ज किये गये एवं गिरदावर द्वारा किस आधार '' **मिलान किया गया, सही पाया गया'' अंकित किया** की जांच करे। अगर जांच में सम्बन्धित पटवारी एवं गिरदावर दोषी पाये जाते है तो सीसीए रूल्स के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित करें। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार मिर्जेवाला को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)